कार्यालय जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, वैशाली

पत्रांक 1831 /मनरेगा, हाजीपुर दिनांकः 26/9/13

प्रेषक,

लोकपाल, मनरेगा,
वैशाली(हाजीपुर)

सेवा में,

उप विकास आयुक्त,
वैशाली।

विषयः— **ग्रामीण विकास विभाग से प्राप्त जनशिकायत, परिवादी श्री रामानन्द कुमार, ग्राम+पो0— अमृतपुर,—प्रखण्ड— वैशाली, जिला—वैशाली के परिवाद के संबंध में।**

प्रसंगः— **पत्रांक 1574/ अभिकरण, हाजीपुर दिनांक 07.09.2013**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक शिकायत पत्र के अनुसार जांच प्रतिवेदन के तथ्य एवं निष्कर्ष भेजा जा रहा है। उक्त जांच से संबंधित संचिका अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में सुरक्षित है।

अनुलग्नकः जांच प्रतिवेदन के तथ्य एवं निष्कर्ष।

विश्वासभाजन

लोकपाल, मनरेगा,
वैशाली।

ज्ञापांक 1831 /मनेरगा, दिनांक 26/9/13

प्रतिलिपिः जिला पदाधिकारी—सह— जिला कार्यक्रम समन्वयक, वैशाली को सादर सूचनार्थ।

लोकपाल, मनरेगा,
वैशाली।

कार्यालय जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, वैशाली

लोकपाल, मनरेगा, जिला–वैशाली

शिकायत पत्र– 29/13–14 के तथ्य एवं निष्कर्ष

दिनांक		अभ्युक्ति
25.09.2013	यह शिकायत श्री रामानन्द कुमार, पिता– स्व0 ललन राय, ग्राम+पंचायत – अमृतपुर, प्रखण्ड– वैशाली, जिला– वैशाली के दिनांक 09.09.2013 के आवेदन पत्र पर अंकित किया गया था। शिकायत पत्र में लगाये गये आरोप निम्न प्रकार है। मनरेगा योजना वृक्षारोपण कार्य के मस्टर रॉल में भारी पैमाने पर फर्जी भुगतान निकासी एवं मजदूरों को फर्जी भुगतान की गई है। वृक्षारोपण कार्य में बड़े पैमाने पर वित्तीय अनियमितता एवं घोटाला हुआ है। शिकायतकर्त्ता के शिकायत के संबंध में दिनांक 10.09.2013 को कार्यक्रम पदाधिकारी, प्रखण्ड– वैशाली, जिला–वैशाली एवं मुखिया ग्राम पंचायत – अमृतपुर पो0– अमृतपुर, प्रखण्ड– वैशाली, जिला– वैशाली से एक सप्ताह के अन्दर कारण पृच्छा की मांग की गयी। दिनांक 15.09.2013 तक कारण पृच्छा का प्रतिवेदन अप्राप्त था। अतएव दिनांक 16.09.2013 को मेरे द्वारा ग्राम पंचायत –अमृतपुर, पो0– अमृतपुर, प्रखण्ड– वैशाली का स्थल निरीक्षण हेतु भ्रमण किया गया। मेरे साथ कार्यक्रम पदाधिकारी, वैशाली, पंचायत रोजगार सेवक, पंचायत तकनीकी सहायक, शिकायतकर्त्ता, ग्राम पंचायत मुखिया एवं अन्य ग्रामीण उपस्थित थे। पंचायत रोजगार सेवक, ग्राम पंचायत अमृतपुर द्वारा सत्र 2011–12 के वृक्षारोपण योजना संबंधी लिखित ब्योरा प्रस्तुत किया गया । उक्त ब्योरा का अवलोकन किया गया। अवलोकन से पाया गया है कि ग्राम पंचायत–अमृतपुर में सत्र 2011–12 में कूल 24 योजनाओं पर वृक्षारोपण कार्य किया गया था। जिसमें 12 योजना निजि जमीन पर क्रियान्वित की गयी थी तथा शेष 12 योजना सड़क किनारे आम जमीन पर क्रियान्वित की गयी थी। निजि जमीन पर क्रियान्वित की गयी दो योजनाओं पर जीवित पौधों की संख्या लगभग 12–15 थी। तीन योजनाओं पर जीवित पोधों की संख्या 50 प्रतिशत से 60 प्रतिशत थी। शेष सात योजनाओं पर जीवित पौधो की संख्या लगभग 90 प्रतिशत थी। सड़क किनारे आम जमीन की दो योजनाएँ प्रधानमंत्री सड़क का निर्माण होने के कारण नष्ट हो चुकी थी। सात योजनाएँ वनपोषक की लापरवाही या जानवरों द्वारा नष्ट किये जा चुके थे। शेष तीन योजनाओं पर जीवित पौधों की संख्या 50 प्रतिशत से 60 प्रतिशत के बीच थी। **वृक्षारोपण योजनाओं की वर्तमान स्थिति निम्न प्रकार है:–**	

योजना सं0	लगाये गये पौधों की सं0	जीवित पौधों की सं0	वनपोषकों को भुगतान की गयी राशि	कुल भुगतान
1	400	प्रधानमंत्री सड़क बनाने के कारण नष्ट हो गये।	29856.00	60216.00
2	400	210	96720.00	125640.00
3	200	नष्ट	34680.00	51775.00
4	200	नष्ट	14880.00	31330.00

3	200	नष्ट	34680.00	51775.00
4	200	नष्ट	14880.00	31330.00
5	200	175	14304.00	30479.00
6	200	110	15168.00	30918.00
7	200	नष्ट	15168.00	30168.00
8	200	नष्ट	17412.00	33268.00
9	200	80	14640.00	30903.00
10	200	180	15840.00	32103.00
11	200	180	15504.00	31995.00
12	200	180	14640.00	30903.00
13	200	180	15504.00	31767.00
14	200	185	15504.00	31718.00
15	200	125	15840.00	32109.00
16	200	25	14400.00	29806.00
17	200	नष्ट	33288.00	49147.00
18	200	नष्ट	1440.00	17299.00
19	200	नष्ट	17232.00	33091.00
20	200	नष्ट	15504.00	30910.00
21	200	नष्ट	14640.00	30046.00
22	200	180	15840.00	31699.00
23	600	310	50544.00	88144.00
24	600	360	50544.00	88144.00

38 11.12

39 11.12

मजदूरों को मजदूरी भुगतान हेतु एडवाइस की सूची में वृक्षारोपण से संबंधित वनपोषकों से उनकी मजदूरी भुगतान संबंधी पूछताछ की गयी। कुल 22 वनपोषकों ने लिखित रूप से बताया है कि उन लोगों ने वृक्षारोपण की विभिन्न योजनाओं में कार्य किया था। जिसकी मजदूरी का पूरा भुगतान उन्हें मिल चुका है। तीन वनपोषकों से मेरी मौखिक भी बातचीत हुई जिसमें उनलोगों ने बताया कि मजदूरी भुगतान संबंधी कोई शिकायत नहीं है। उनलोगों ने यह भी स्वीकार किया है कि उन्हें डाकघर के खाते के माध्यम से मजदूरी की राशि का पूरा भुगतान मिल चुका है।

मेरे साथ शिकायतकर्त्ता भी उपस्थित थे। वे कार्यवाही के दौरान अमृतपुर पंचायत भवन के मैदान में उपस्थित थे। उन्होंने भी अपने लिखित प्रतिवेदन में जांच प्रक्रिया एवं पूछताछ से संतुष्ट बताया है।

दिनांक 18.09.2013 को मुखिया ग्राम पंचायत –अमृतपुर ने अपने लिखित प्रतिवेदन में बताया है कि पौधारोपण एवं वनपोषकों की बहाली पंचायत में नियमानुकूल एवं सत्यतापूर्वक किया गया था। परन्तु वनपोषकों की लापरवाही एवं जानवरों द्वारा पौधों को नष्ट कर दिया गया था। परन्तु तुरन्त कराये गये मापी के पश्चात् भुगतान राशि को बन्द कर दिया गया। ग्राम पंचायत कार्यकारिणी के सदस्यों ने अपनी पंचायत की बैठक में निर्णय लिया कि ज्यादा क्षति वाले योजनाओं

को बन्द कर कार्यक्रम पदाधिकारी से निदेश मांगने की पुष्टि की जाय।

अतएव पंचायत रोजगार सेवक द्वारा, कार्यक्रम पदाधिकारी, प्रखण्ड– वैशाली को पत्र दिया गया कि ग्रामीण विकास विभाग द्वारा प्राप्त आदेशानुसार 31.03.13 को सभी योजनाओं को बन्द कर दिया गया है। पुनः उस योजना को अगले वित्तीय वर्ष के लिए सरकार के दिशा निर्देश के अनुरूप नया प्राक्कलन उपलब्ध कराया जाये। कार्यक्रम पदाधिकारी प्रखण्ड– वैशाली द्वारा दिनांक 10.06.2013 को मनरेगा से संबंधित बैठक में कनीय अभियंता एवं पंचायत तकनीकी सहायक को यह निदेश दिया गया कि वृक्षारोपण योजनाओं का भौतिक सत्यापन करते हुए जीवित पौधों जिन योजनाओं में पायी जाती है। उनका एक वर्षीय प्राक्कलन तैयार कर प्रखण्ड को समर्पित करें।

उक्त संबंध में पंचायत रोजगार सेवक से पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि कनीय अभियंता एवं पंचायत तकनीकी सहायक द्वारा अभी तक किसी प्रकार का प्राक्कलन प्रखण्ड कार्यालय को नहीं समर्पित किया गया है। जिस कारण उक्त योजनाओं पर कार्य शुरू नहीं किया जा सका है। उन्होंने बताया कि मैंने प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी एवं पंचायत कार्यकारिणी के दिशा निदेशों के अनुरूप ही कार्य किया हूँ।

उक्त कार्य में वृक्ष के पोषण-कार्य में लापरवाही बरती गयी है। पंचायत तकनीकी सहायक एवं कनीय अभियंता द्वारा भी समय पर कार्यवाही नहीं की गयी है। प्राक्कलन के अभाव में कार्य शुरू नहीं किया जा सका है। अतः उक्त संबंध में आवश्यक कार्रवाई की जा सकती है।

16.07.13

लोकपाल, मनरेगा
वैशाली, (हाजीपुर)